भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 191*

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली पुलिस द्वारा जाली करेंसी नोटों के धंधे में संलिप्त गिरोह का भंडाफोड़

***191. डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने हाल ही में जाली भारतीय करेंसी नोटों की तस्करी और उनके चलन में संलिप्त अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए आई० एस० आई० की मदद से जाली भारतीय करेंसी नोटों को सुभेद्य भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से भेजा जाता है;

(ग) क्या इस मामले में पाकिस्तान के प्रति विरोध प्रकट किया गया है; और

(घ) तस्करी से सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी जाली भारतीय करेंसी नोटों की तस्करी क्यों कम नहीं कर सके अथवा प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सके, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में गृह मंत्री **(श्री राजनाथ सिंह)**

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

दिनांक 03 अगस्त, 2016 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 191 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : वर्ष 2016 के दौरान, दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 14.29 लाख रू. के अंकित मूल्य वाले एफआईसीएन की जब्ती के तीन मामले दर्ज किए हैं। दर्ज किए गए तीन मामलों में से, दो मामलों में एफआईसीएन का मार्ग भारत-बांग्लादेश सीमा और एक मामले में भारत-नेपाल सीमा था। इन तीनों मामलों में कुल 08 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, पाकिस्तान में मुद्रित उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय करेंसी नोटों की प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आईएसआई की मिलीभगत से भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से भारत में तस्करी की जाती है।

(ग) : जब कभी विदेश सचिव स्तरीय वार्ता और गृह सचिव स्तरीय वार्ता आयोजित की जाती हैं, तब भारत सरकार द्वारा इस मामले को इस प्रकार के विभिन्न मंचों पर पाकिस्तान के साथ उठाया जाता है।

(घ) : बीएसएफ द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान की गई एफआईसीएन की जब्ती से, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, सीमावर्ती क्षेत्रों में एफआईसीएन के परिचालन को रोकने के लिए बीएसएफ द्वारा किए गए प्रयासों का स्पष्ट रूप से पता चलता है।

वर्ष	जब्त की गई एफआईसीएन की राशि	गिरफतार किए गए व्यक्ति
2013	95.75 लाख रूपए	51
2014	194.52 लाख रूपए	57
2015	287.70 लाख रूपए	37
2016 (जून तक)	112.50 लाख रूपए	15

*****